तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
27/12/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समन डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गयी। विपक्षीगण अनु०। विपक्षीगण को कोई समय से तीन बार तीन- तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बहस सुनी। आदेश कलम से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की ~~मालूम~~ पालनार्थ तहसील जावे से पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

…ण संख्या: 192 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. प्रतापसिंह वल्द डूंगराराम
2. उदाराम वल्द डूंगराराम
3. धनाराम वल्द डूगराराम
4. सरूपाराम वल्द डूंगराराम
5. दानाराम वल्द हरलाल
6. पूनमाराम वल्द हरलाल
7. आदूराम वल्द पोकराराम
8. चूनी पत्नी पोकराराम
9. ठाकराराम वल्द पोकराराम
10. पुरखाराम वल्द पोकराराम
11. विशनाराम वल्द पोकराराम
    कौम जाट साकिन बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आदूराम वल्द सुखा
2. जसाराम वल्द पूनमाराम
3. बांकाराम वल्द वगताराम
4. सोनाराम वल्द वगताराम
5. केहरा वल्द सेवा
6. जूंजाराम वल्द गोरधन
7. जेठा वल्द सगरामा
8. मूला वल्द अमरा
9. ठाकरा वल्द गोरधन
10. देवाराम वल्द हुकमाराम
11. करनाराम वल्दहुकमाराम
12. हडूमानराम वल्द हुकमाराम
13. कसुम्बी पत्नी हुकमाराम
    कौम जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नौखडा
14. बंशीलाल वल्द प्रहलादराम
15. अमराराम वल्द प्रहलादराम
16. मिसराराम वल्द प्रहलादराम
17. भूराराम वल्द प्रहलादराम
18. बाबूलाल वल्द प्रहलादराम
19. दमीदेवी पत्नी देदाराम
20. सजनी पत्नी फूसाराम
21. हीराराम वल्द शिवजीराम
22. खुमाराम वल्द शिवजीराम
23. वीरोंदेवी पत्नी शिवजीराम
24. किशनाराम वल्द चेनाराम
25. ठाकराराम वल्द चेनाराम
26. खरता वल्द अचला
27. ताजाराम वल्द पोकराराम
28. पूनमा वल्द लिखमा
29. भैराराम वल्द पोकराराम
30. वीरमा वल्द प्रहलाद
31. डूंगराराम वल्द प्रहलाद
    कौम जाट निवासी बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 27.12.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 415, 417, 418/1, 432/1, 440, 453 रकबा क्रमशः 0.0486, 0.1619, 4.1278, 1.9587, 15.6370, 8.4579 हैक्टेयर एवं ग्राम लाला की बेरी के खेत खसरा संख्या 371, 412/371 रकबा 3.8850, 0.6070 हैक्टेयर का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि ग्राम बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 415, 417, 418/1, 432/1, 440, 453 रकबा क्रमशः 0.0486, 0.1619, 4.1278, 1.9587, 15.6370, 8.4579 हैक्टेयर एवं ग्राम लाला की बेरी के खेत खसरा संख्या 371, 412/371 रकबा 3.8850, 0.6070 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 1000/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ......12/22........ को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.05 11:52:50 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी